



2026:AHC:49370

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5549 वर्ष 2026

सत्तार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: सतीश मोहन तिवारी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2- अपर आयुक्त (प्रशासन) तृतीय, मेरठ मंडल, मेरठ के न्यायालय में दायर निगरानी संख्या 2481/2025 में माह नवंबर, 2025 में अंतरिम राहत प्रदान करने हेतु एक आवेदन भी दायर किया गया था। उपरोक्त निगरानी को विलंब क्षमा करने के पश्चात स्वीकार कर लिया गया था और विपक्षी दलों को नोटिस जारी करते हुए 04.12.2025 की तिथि निर्धारित की गई थी।
2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अंतरिम राहत प्रदान करने हेतु आवेदन अभी भी विचाराधीन है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
3. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 उपरोक्त आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय लेंगे।
4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देशित करते हुए निस्तारित किया जाता है कि वे कानून के अनुसार कड़ाई से और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



यथाशीघ्र, अधिमानतः चार महीने की अवधि के भीतर, उपरोक्त आवेदन पर निर्णय लें, और जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन प्रदान न करें।

5. चूंकि रिट याचिका का निस्तारण प्रत्यर्थियों से कोई जवाब मांगे बिना एकपक्षीय संस्करण के आधार पर किया गया है, अतः आज के आदेश को इस रूप में न समझा जाए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार किया है और द्वितीय प्रत्यर्थी कानून के अनुसार और क्षेत्र में लागू कानूनी अधिदेशों के आधार पर स्वतंत्र रूप से विचार करेंगे।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”